भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अक्तूबर, 2022 माह की मासिक उपलब्धियाँ

I. जारी किए गए विनियम :

क. **अंतिम अधिसूचनाएँ**

1. पान मसाला एवं विभिन्न प्रकार के ब्रेड के लेबलिंग से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं डिस्पले), संशोधन विनियम, 2022 का राजपत्र में अधिसूचना (11-10-2022 को अधिसूचित)।

2. गैर विनिर्दिष्ट खाद्य की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया के पुनरावलोकन से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर विनिर्दिष्ट खाद्य खाद्य और खाद्य संघटकों के अनुमोदन) प्रथम संशोधन विनियम, 2022 का राजपत्र में अधिसूचना (11-10-2022 को अधिसूचित)।

3. प्रसंस्करण साधनों के अन्तर्गत आने वाले अनुवाँशिक रूप से संशोधित स्त्रोतों से प्राप्त इंजाइम के समावेशीकरण के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम,2021 का राजपत्र में अधिसूचना (27-10-2022 को अधिसूचित)।

ख . जन सुझाव आमँत्रित करने हेतु जारी किया गया मसौदा अधिसूचना (FSSAI-www.fssai.gov.in की वेबसाइट पर अपलोड किए गए)

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (भर्ती एवं नियुक्ति) विनियम, 2018, के संशोधन हेतु मसौदा (13-10-2022 को अधिसूचित)

II. आदेश/एडवाइजरी/स्पष्टीकरण-

1. एफएसएस (वेगन खाद्य) विनियम, 2022 के तहत वेगन लोगो के अनुमोदन हेतु 7 अक्तूबर, 2022 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया जिसमें एक उत्पाद के लिए विभिन्न वेरिएंट और दो या उससे अधिक भिन्न उत्पादों के लिए प्रत्येक वरियंट/अलग उत्पाद के लिए अलग-अलग आवेदन जमा किया जाना आवश्यक है। एकल एपलिकेशन के अन्तर्गत इसे नहीं रखा जाएगा।

2. दिनांक 10 अक्तूबर,2022 के आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी खाद्य विनिर्माण सुविधाएं जो निम्नलिखित खाद्य श्रेणियाँ के तहत आने वाले उत्पादों को भारत को निर्यात करना चाहते हैं, उनका पंजीकरण अनिवार्य है:

(i) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद
(ii) पोल्ट्री, मछली एवं उनके उत्पादों सहित मांस एवं मांस उत्पाद
(iii) अंडे का चूर्ण
(iv) शिशु खाद्य
(v) न्यूट्रास्युटिकल्स

निर्यातक देश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर ऐसी सुविधाओं का पंजीकरण एफएसएसएआई द्वारा इसके पोर्टल पर किया जाएगा। यह आदेश 1 फरवरी, 2023 से प्रभावशाली होगा।

3. दिनांक 12 अक्तूबर, 2022 के आदेश द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नियम, 2011 के नियम 2.1.3(1) पर एक स्पष्टीकरण दिया गया।

4. खाद्य प्रेषण का आयात करते समय खाद्य आयात निकासी समय और विलम्ब शुल्क कम करने के लिए सभी खाद्य आयातक या खाद्य कारोबारियों को एफआईसीएस में बिल की प्रविष्टि के अग्रिम बिल प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध करने की सलाह दी गई है।

5. 17 अक्तूबर,2022 के आदेश द्वारा सभी हितधारकों से आदेश में विर्निदष्ट उच्च जोखिम वाले खाद्य के आयात को केवल पूर्ण रूप से एफएसएसएआई कार्यालय या अधिकारियों द्वारा चालित 61 पोर्ट के माध्यम से ही किए जाने वाले निर्णय पर टिप्पणियाँ या सुझाव आमंत्रित किए गए।

6. एफएसएस अधिनियम के खण्ड 16(5) के अन्तर्गत जारी दिनांक 19 अक्तूबर,2022 के निर्देश में व्यापार को उन्नत करने एवं व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सीमा-शुल्क से ऑथिराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स (एइओएस) प्रमाणपत्र प्राप्त खाद्य कारोबारी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास एक वचनपत्र/घोषणापत्र जमा करेगें। प्राधिकृत अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि दृश्य निरीक्षण कर, सैंपल एकत्र करें एवं प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अन्तरिम अनापत्ती प्रमाण-पत्र जारी करें। प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट की पावती प्राप्त होने पर तथा उत्पाद द्वारा एफएसएसएआई मानकों पर खरा उतरने पर ही प्राधिकृत अधिकारी अंतिम अनापत्ती प्रमाण-पत्र जारी करेगा। यह आदेश अगले आदेश के आने तक वैध समझा जाएगा।

7. दिनांक 20 अक्तूबर, 2022 के स्पष्टीकरण द्वारा यह यह स्पष्ट किया गया कि भारत में आयात किए जाने वाले अल्कोहलीय बीवरेज के प्रेषित माल जिसमें अधिक मात्रा में कंटेनर्स में उच्च अल्कोहलीय सामग्री होती है और जहाँ उत्पाद का प्रयोग अल्कोहलीय बीवरेज के विनिर्माण हेतु सामग्री के रूप में किया जाता है, की जाँच एफएसएस (अल्कोहलीय बीवरेज) विनियम, 2018 के उप-विनियम 1.3.9 के अनुसार की जानी चाहिए। इस विनियम के तहत अल्कोहल की उच्च सीमा प्रयुक्त न होकर अन्य आवश्यकताओं के साथ केवल सुरक्षा मापदंडों की जाँच की जाएगी।

8. एफएसएस अधिनियम, 2006 के खंड 16(5) के तहत दिनांक 27 अक्तूबर, 2022 को जारी किए गए निर्देश में यह कहा गया है कि आयातकों के अनुरोध पर रेफरल प्रयोगशालाओं को भेजे गए आयातित खेपों के नमूनों का विश्लेषण उन्हीं मापदण्डों पर होगा जिसका परिणाम प्राथमिक प्रयोगशालाओं में एफएसएस विनियम के अनुकुल नहीं पाया गया। साथ ही सुरक्षा मापदंडों जिसकी जांच प्राथमिक प्रयोगशालाओं में नहीं की गई हो उन्हें रेफरल प्रयोगशालाओं में जाँचा जाएगा। रेफरल प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई विश्लेषण रिपोर्ट अंतिम होगी।

9. व्यवसाय सहयोगियों द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए दिनांक 3 अगस्त, 2022 को जारी किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट विशिष्ट उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता तथा तदोपरांत दिनांक 26 सितम्बर,2022 को दिए गए स्पष्टीकरण के बाद यह 1 जनवरी, 2023 से प्रभावशाली होगा।

III <u>गुणता आश्वासन</u>

1. खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के खंड 43(1) के अन्तर्गत वैधानिक व निगरानी नमूनों के विश्लेषण के उद्देश्य से एफएसएसएआई प्राथमिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करता है। अक्तूबर,2022 के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के खंड 43(1) के अन्तर्गत स्नेहा टेस्ट हाउस, बैंगलूरू को प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया। हालाँकि इस महीने के दौरान 2 अधिसूचित प्रयोगशालाओं को सूची से हटाया भी गया। इससे प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 225 हो गई। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के खंड 43(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 21 हो गई है।

2. चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण :

(a) **सॉफ्टेल योजना के तहत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन**

चलती-फिरती खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण (सॉफ्टेल) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 481.95 करोड़ रूपये के प्रारंभिक परिव्यय से तीन वर्षों के लिए 2016-17 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना में कम से कम प्रत्येक राज्य में 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला तथा बड़े राज्यों में दो प्रयोगशालायों का मूल व उच्च किस्म के उपकरण एवं एक सूक्ष्मजीव प्रयोगशाला स्थापित कर उन्नयन किया जाना है। प्रत्येक एसएफटीएल के लिए 13.90 रू (लगभग) का अनुदान निश्चित किया गया।

राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 313.98 करोड़ रू सहित योजना के विभिन्न संघटको के लिए प्रारम्भिक परिव्यय से 372.35 करोड़ रू का अनुदान र्निमुक्त किया गया। इस योजना का पुनरावलोकन किया गया तथा सरकार की स्वीकृती से इसका विस्तार वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए कुछ अतिरिक्त मापदंडो तथा 241.34 करोड़ के परिशोधित परिव्यय के साथ किया गया।

अक्तूबर, 2022 के दौरान एसएफटीएल के उन्नयन से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत झारखंड राज्य को कुल 359.70 लाख रू (एफएसडब्लू के लिए दिए गए रू 20

लाख को छोड़कर) का अनुदान दिया गया जिसका प्रयोजन वहाँ के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए नवीकरण, उन्नत किस्म के उपकरणों की खरीद, प्रयोगशालाओं के लिए बेसिक उपकरण, सूक्ष्मजीवी प्रयोगशाला की स्थापना, उपभोज्य वस्तुओं, आरएएफटी कीट, एनएबीएल इत्यादियों की खरीद करना इत्यादि सम्मिलित है। पुदुचेरी प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए कुल 382 लाख रू का अनुदान दिया गया। इससे 30 राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों के 41 प्रयोगशालाओं के उन्नयन योजना के तहत दिया गया कुल अनुदान बढ़कर 399.19 करोड़ रू हो गया।

(ख) चल खाद्य सुरक्षा (एफएसडब्ल्यू)

एफएसएसएआई दूर-दराज के क्षेत्रों में परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों के संचालन के लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ प्रदान कर रहा है ताकि खाद्य परीक्षण पारितंत्र को मजबूत बनाया जा सके। सॉफ्टेल केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कुल 97 पूरी तरह से सुसज्जित चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध कराई गईं। अब एफएसएसएआई केंद्रीय क्षेत्र योजना से अलग राज्यों /संघराज्यक्षेत्रों को एफएसडब्ल्यू की खरीद के लिए(प्रत्येक की लागत लगभग 42 लाख रुपये है), उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके गैर योजना निधि से अनुदान प्रदान कर रहा है।सितंबर, 2022 के अंत तक कुल 324 एफएसडब्ल्यू स्वीकृत किए गए थे। अक्तूबर माह में जेम के माध्यम से सीधी खरीद के लिए समझौता ज्ञापन कार्य योजना 2022-23 के तहत झारखंड राज्य के लिए कुल 11 एफएसडब्ल्यू @42 लाख रुपये प्रति एफएसडब्ल्यू की स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को पहली किश्त के रूप में 50% अनुदान जारी किया गया है जिसके बाद राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को अब तक स्वीकृत किए गए एफएसडब्ल्यू की कुल संख्या 335 हो गई है।

इसके अलावा झारखंड राज्य के लिए एफएसडब्ल्यू के परिचालन संबंधी खर्चों की लागत को वहन करने के लिए अग्रिम राशि भी स्वीकृत की गई है-केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 20 लाख रुपये + गैर- केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 32.5 लाख रुपये)

3. विश्लेषण विधियों का मैनुअल:

खाद्य प्राधिकरण ने डेयरी और डेयरी उत्पादों की विश्लेषण विधियों के मैनुअल -दूसरा संस्करण, तथा सूक्ष्मजीवी विश्लेषण के लिए प्रतिचयन और पौष्टिकीकृत चावल में पोषकों

(आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12) की परीक्षण विधियों पर सामान्य दिशानिर्देश का अनुमोदन किया है। ये मैनुअल /दिशानिर्देश एफएसएसएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

IV.समझौता ज्ञापन रूपरेखा के तहत निधियाँ जारी करना

एफएसएसएआई राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन की योजना के तहत खाद्य सुरक्षा पारितंत्र में कमियों को दूर करने और देश में खाद्य सुरक्षा की समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं के विरुद्ध 2020-21 से राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इन गतिविधियों में राज्य खाद्य परीक्षण पारितंत्र का उन्नयन, विभिन्न एफएसएसएआई पहलों का आयोजन, आईईसी गतिविधियों का संचालन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण के लिए हेल्पडेस्क स्थापित करना, राज्य द्वारा अनुज्ञापित खाद्य कारोबारियों की लेखापरीक्षाएँ, एफएसएसएआई द्वारा पैनलबद्ध निजी प्रयोगशालाओं में नमूनों का परीक्षण, खाद्य कारोबारियों के लिए आधारभूत फोस्टैक प्रशिक्षण का आयोजन आदि शामिल हैं। निधियाँ केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत और साथ ही गैर-केंद्रीय क्षेत्र योजना निधियों से भी प्रदान की जाती हैं। अक्टूबर, 2022 के दौरान 1460.96 लाख रुपये की राशि (केंद्रीय क्षेत्र योजना-1060.90 लाख रुपये, गैर-केंद्रीय क्षेत्र योजना 400.06 लाख रुपये) दो राज्यों को जारी की गई थी।

कुल मिलाकर, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समझौता ज्ञापन रूपरेखा के तहत अक्टूबर, 2022 के अंत तक 31 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों कोकेंद्रीय क्षेत्र योजना (सॉफ्टेल) के अंतर्गत 7991.67 लाख रुपये और गैर-केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 17749.75 लाख रुपये, यानी कि कुल 25741.42 लाख(257.41 करोड़) रुपये जारी किए गए हैं।

V. <u>सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन</u>

जागरुकता- एफएसएसएआई ऑनलाइन मोड जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया और ऑफलाइन माध्यमों जैसे कि आयोजन/प्रदर्शनियाँ दोनों प्रकार के विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करके सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यकर आहार के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियाँ आयोजित करता है।अक्टूबर, 2022 के महीने में जन जागरूकता पैदा करने के लिए कुल 23 क्रिएटिव बनाए गए और एफएसएसएआई के विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के माध्यम से परिचालित किए गए।

ईट राइट इंडिया पहलें: ईट राइट इंडिया पहलों के तहत एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने पर विभिन्न खाद्य व्यवसायों/समूहों को प्रमाणित करता है। खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता स्तरों में सुधार के लिए कई मानक-निर्धारण एवं प्रमाणन योजनाएँ शुरु की गई हैं। अक्टूबर, 2022 के दौरान प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पहल का नाम	कुल
1.	क्लीन स्ट्रीट फूड हब	01
2.	क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजीटेबल बाजार	13
3	ईट राइट स्टेशन	2

अन्य गतिविधियाँ

1. अक्टूबर, 2022 में अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ईट राइट क्रिएटिविटी चुनौती के बारे में संवेदीकृत करने के लिए एक अभिविन्यास सत्र वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था।

2. अक्टूबर 2022 में "रेसिपी चैलेंज फॉर कॉम्प्लिमेंट्री फूड फॉर चिल्ड्रेन (2 साल तक के)" शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2 साल तक के बच्चों के लिए अनुपूरक भोजन के नवीन, पारंपरिक, स्थानीय-मौसमी व्यंजनों को साझा करने के लिए नेटप्रोफैन चैप्टर्स को बढावा देना था।

VI प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

(क) **खाद्य संचालक** -एफएसएसएआई के फोस्टैक प्रशिक्षण कार्यक्रम में खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में अच्छी विनिर्माण रीतियाँ (जीएमपी) और समुचित स्वच्छता और साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है।खाद्य संचालकों के लिए ये अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षकों के माध्यम से नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। अक्टूबर, 2022 के दौरान 414 खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षणों के माध्यम से 13,829 खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित किया गया।

(ख) नियामिकी कार्मिक और एफएसएसएआई के अधिकारी- एफएसएसएआई नियामिकी कर्मियों और एफएसएसएआई के नियमित कर्मचारियों के लिए भी नियमित रूप से प्रशिक्षण

आयोजित कर रहा है। उक्त कर्मियों के लिए अक्टूबर, 2022 के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्न प्रकार है:

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित लोगों की संख्या
आईटीसी-एफएसएएन मुंबई में 10 अक्टूबर, 2022 से 15 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मिज़ोरम,महाराष्ट्र के अभिहित अधिकारियों, सहायक जन स्वास्थ्य अधिकारी/जन स्वास्थ्य अधिकारी , केंद्रीय अभिहित अधिकारीयों के लिए अनुगम प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01	49

(ग) प्रयोगशाला कर्मी और अन्य हितधारक

एफएसएसएआई ने राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला कर्मियों के लिए खाद्य वस्तुओं में संदूषकों के विश्लेषण, डेयरी उत्पादों में आईसीपी-एमएस का प्रयोग करके धातुओं के अंशों और एलसी-एमएसएमएस का प्रयोग करके कीटनाशक अवशिष्ट के विश्लेषण और चावल पौष्टिकीकरण के लिए विधि सत्यापन पर संवेदीकरण से संबंधित 4 व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। यह आयोजन (i) अश्वमेध लैब, नासिक (ii) एफएसएससी, एनएफएल गाजियाबाद (iii) ईएफआरएसी कोलकाता के सहयोग से किया गया । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

खाद्य सुरक्षा समाधान केंद्र (एफएसएससी), एनएफएल, गाजियाबाद ने राज्य प्रयोगशालाओं के लिए शहद की प्रामाणिकता से संबन्धित एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आईटीसी-एफएसएएन, मुंबई ने विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । इसमें भारत के खाद्य विनियमन को समझना, घरेलू विनियमों के अनुसार खाद्य उत्पाद का विकास संबंधी सत्र, एथिराज: घरेलू विनियमों के अनुसार खाद्य उत्पाद का विकास; एफएसएसएआई ईट राइट इंडिया के साथ उद्योग का

अकादमिक वार्तालाप; अभिहित अधिकारियों का अनुगम प्रशिक्षण कार्यक्रम; खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018; समेकित मूल्यांकन के तहत प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन; मछली और मत्स्य उत्पादों का सूक्ष्मजीवी प्रतिचयन; खाद्य कारोबारियों के लिए फोस्टैक-उन्नत केटरिंग इत्यादि । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1148 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

VII विविध गतिविधियाँ-

सांस्कृतिक कार्यक्रम- त्योहारों के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए एफएसएसएआई ने "जश्न-ए-रोशनी" का आयोजन किया और 19-20 अक्टूबर, 2022 को कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं। इस कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता, प्रभाग की साज-सज्जा और संजातिया परिधान प्रतियोगिता सहित हर गतिविधि में बड़ी मात्रा में भागीदारी देखी गई। विभिन्न विषयों पर ये प्रतियोगिताएं स्वच्छता 2.0 मिशन को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थीं। इसके अलावा,इस आयोजन की परिकल्पना सहयोगिता को बढ़ावा देने और कर्मचारियों के बीच सौहार्द की भावना पैदा करने के लिए की गई थी।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह-एफएसएसएआई सतर्कता जागरुकता सप्ताह, 2022 (31.10.2022-06.11.2022) मना रहा है। दिनांक 31-10-2022 को अधिकारियों एवं कार्मिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।